महत्वपूर्ण /समयबद्ध

उत्तर प्रदेश शासन
संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग
संख्या-03/2023/201/90-सं0शि0प0का0/2023-02(सं0शि0)/2015
लखनऊः दिनांक- 03 फरवरी, 2023

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

अवगत कराना है कि मा0 सदस्य विधान सभा के विरूद्ध प्रोटोकाल उल्लंघन के प्रकरणों पर विचार कर निर्णय लिये जाने हेतु मा0 अध्यक्ष, विधान सभा की अध्यक्षता में विधान सभा की संसदीय अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। मा0 समिति की बैठकों में विचारणीय विषयों के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा आख्या एवं संबंधित अभिलेख संसदीय शिष्टाचार/ पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग को उपलब्ध कराया जाता है तथा संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग द्वारा उक्त आख्या के आधार पर मा0 समिति के उपयोगार्थ टिप्पणी प्रस्तुत की जाती है।

2- यह पाया गया है कि विभागों द्वारा संबंधित प्रकरणों पर समयान्तर्गत आख्या संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग को उपलब्ध नहीं करायी जाती है और न ही संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा मा0 ससंदीय अनुश्रवण समिति की बैठकों में प्रतिभाग किया जाता है। विभागीय आख्या समय से प्राप्त न होने पर असमंजस्य पूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा विभागीय/ अधिकारियों के बैठकों में संगत अभिलेखों के साथ प्रतिभाग न किये जाने पर विभागीय आख्याओं की स्पष्टता नहीं हो पाती है।

3- अतः यह अपेक्षित है कि कृपया मा0 सदस्य विधान सभा के विरूद्ध प्रोटोकाल उल्लंघन के प्रकरणों/ मा0 संसदीय अनुश्रवण समिति के विचारणीय प्रकरणो के संबंध में विभागीय आख्या/अभिलेख संसदीय कार्य विभाग के अन्तर्गत संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग को समयान्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त अपने-अपने विभाग में मा0 संसदीय अनुश्रवण समिति के प्रकरणों पर समयबद्ध रूप से आख्या उपलब्ध कराने तथा मा0 संसदीय अनुश्रवण समिति की बैठकों में सुसंगत अभिलेखों सहित प्रतिभाग कर विभागीय पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु विभाग के अन्तर्गत किसी विशेष सचिव से अनिम्न स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया कृत कार्यवाही की सूचना समयान्तर्गत संसदीय कार्य विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जे0पी0सिंह-II
प्रमुख सचिव।
कृ0पृ0-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-03/2023/201/90-सं0शि0प0का0/2023 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।

2- निजी सचिव, मा0 संसदीय कार्य मंत्री, उ0प्र0।

3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ।

4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

5- विशेष सचिव, विधान सभा समिति (सामान्य) अनुभाग-3

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जे0पी0सिंह-II
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।